9.1.2014

पा. उपस्थित - पत्रावली पेश / प्रार्थना पत्र OBR, उ
व 151 सी.पी.सी. के तहत पेश किया गया - मामले
पर वकील की बहस सुनी गयी उसके पश्चात
बहस सुनी गयी

प्रार्थी/पक्ष वकील का कहना है कि - मामला
RAA नं टेंडू दि. 16.1.06 तथा BOR अजमेर का 12.2006
फैसला - उक्त [illegible] के पश्चात [illegible]
न्याय हेतु आवश्यक है [illegible]

वकील अप्रार्थी का कहना है कि [illegible]
[illegible] 18 साल बाद
[illegible]
[illegible] 16.1.2006 का
[illegible] RAA नं टेंडू [illegible] 16.1.2006 [illegible]
[illegible]
न्याय हेतु [illegible]
[illegible]

हाल ख.नं. - 555, 556, 655, 656, 657, 794, 798, 322
जिसमें - हम गैर मौरूसी दर्ज थे. तथा 1.12.21 को
33/2000 हमारा मिसल - हुआ है - 2013/04 में अपील
के मिसल-तक स्टे प्रोसीडिंग 11.4.21 के मिसल की अपील
थी - तथा 16/1/2006 RAA के आदेश में कहीं कोई-
नहीं है - नहीं कन्फ्यूज किया गया है - इस RAA के मिसल
की अपील में गेकी है तो अन्य खसरों को अभी-
योजित सम्मिलित कर सकते है. दावा इसका कभी-
भी पेश किया जा सकता है - इन्जातप्रार्थनापत्र खारिज
किया जावे पत्रा. में - उक्त बात भी स्पष्ट हो चुकी है।

हमने उभयपक्ष कायम के अधिवक्ताओं की बहस
सुनी गयी पत्रा. का अवलोकन किया तो पाया कि
मृतक वादी स. 3 मोहन की मृत्यु होने उपरान्त प्रार्थना-
022 R3 न्यायालय द्वारा दिनांक- 10/2/20 को 5 वर्ष की
की कॉलम पर स्वीकार किया जाकर मृतक वादी सं.3
के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया है तथा संशोधित
वादपत्र - दिनांक- 6/1/2021 को पेश किया गया है - तथा
मृतक के वारिसान 3/1 to 3/6 की ओर से वादी वकील
अख्तर ... - द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ही वकालतनामा
पेश किया गया है जो पत्रा. में मौजूद है तथा दिनांक-
22/3/24 को वादी वकील द्वारा 5 वर्ष की कॉलम
अदा करार गयी जो की सुनवाई के अधिवक्ता की
पूर्व पर वकील थी तो उसके द्वारा कॉलम भी पूर्ण की
गई है तथा वादपत्र में प्रारंभिक डिक्री जारी करने
जाने हेतु अपनी सहमति भी पत्रा. की आदेशिका
पर दी गई, तथा सहमति के आधार पर वादपत्र
में न्यायालय द्वारा दिनांक- 22/3/24 को प्रारंभिक
डिक्री जारी की गई इस प्रकार मृतक वादी सं.3
के वारिसान की तलबी की आवश्यकता नहीं रही
तथा सहमति के आधार पर P.D जारी की गई -

सहायक कलक्टर
जिला

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म

इसके अलावा हल्का पटवारी ले.1 मोहनसिंह की हल्के
होने पर प्रा.पत्र 022 RY दिया गया जो न्यायालय.
द्वारा प्राप्त दिनांक 17/4/18 को स्वीकार किया जाकर
मृतक के वारसान - पटवा.1 के रिकॉर्ड पर लिये गये.
लेकिन उपरोक्त वारिसान को पेश किया गया, तथा मृतक -
वारसान की तलबी की. परन्तु रामलाल की दिनांक 24/9/14
को मृत्यु हो गई - अब रिकॉर्ड पत्रा. पर मौजूद है. तथा -
प्र.स. 300/2000 में - ख.नं. 279, 505, 593, 596,
में - आगे की कार्यवाही को स्थगित आदेश दि- 15.
29/3/04 को किया गया है. जिसमें - ऑनलाइन -
अपील सं. 33/02 आ.RAA के आदेश तक - हस्तगत -
वाद - में आगे की कार्यवाही स्थगित की जाती है का
उल्लेख किया गया है तथा - दिनांक - जानकारी का
न्यायालय के आदेश अनुसार तलबीयात कायम की गई -
तनकी नं. 3 के संबंध में - वादीगण द्वारा सभी ख.नं. की
नहीं जोड़ा है जवाब अन्य - खसरा नक्शा पर डावा -
88, 89, विचाराधीन है - इसलिए उन नक्शा नं को जोड़ा
जाना उचित नहीं है। उन खसरा नक्शा नं की अपील
भी - आगे पेश होती है - तथा तनकी 4 - अन्य कोई डावा
इस संबंध - 53, 186 विचाराधीन नहीं है इस लिये वादी
के डावा में इस प्रकार का कोई उपलब्ध नहीं होता है
तनकी नं. 4 के संबंध में - न्यायालय. दिनांक - RAA की
अपील - सं. 33/02 के तहत - RAA न्यायालय के द्वारा यहाँ
डावा परचा को स्थगित नहीं किया है इसलिए - धारा
10 CPC के प्रावधान लागू नहीं होते हैं - धारा 53 -
का डावा भी किया जा सकता है जहां खसरा
नक्शा विवादित नहीं. अतः प्रकरण, प्रारंभिक
पत्र - खारिज किया जाने योग्य है अतः वादपत्र की
विभाजन - प्रक्रिया तय हो चुकी है तथा पत्रा. वहन
अपीलार्थी स्थगित के विचाराधीन है अतः प्रकरण
का प्रारंभिक पत्र - खारिज किया जाता है पक्षकार
वादी बहस हेतु दिनांक 21/11/18 को हाजिर
रहावें। [signature]

सहायक कलेक्टर
[illegible] जिला [illegible]